शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 09/03/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–524/2025–972/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–25063/2019 रंजीत कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–13.12.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...***Having considered the facts and submissions of the parties, I dispose of this writ petition with a direction to the Director, Primary Education to consider the case of the petitioners for grant of trained pay scale from the date of completion of the training of the petitioners as even after completion of the training of the petitioners, the examination was held and the respondents took years to publish the result and pass order in accordance with law....***"

3. उक्त पारित न्यायादेश के क्रम में वादी द्वारा विभाग को अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–127 दिनांक–09.01.2026 द्वारा सुनवाई हेतु सूचना देते हुए दिनांक–14.01.2026 को वादीगण का पक्ष सुना गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादीगण द्वारा अवगत कराया गया कि उनका मामला सी०डब्लू०जे०सी० सं०–16165/2019, किशोर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं सी०डब्लू०जे०सी० सं०–1894/2021, मितेन्दु एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समरूप के समरूप है।

5. प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–13.12.2019 को पारित न्यायादेश में अंकित किया गया है कि वादीगण को सत्र–2015–17 एवं सत्र–2016–18 में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। साथ ही प्रस्तुत वाद के याचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सत्र–2015–17 के वादीगण को दिनांक–30.06.2017 को तथा सत्र–2016–18 के वादीगण को दिनांक–30.06.2018 को अपने मूल विद्यालय/नियोजन इकाई/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय में योगदान हेतु विरमित किया गया है। उक्त दोनो सत्रों की परीक्षा एक ही बार आयोजित की गई, जिसके परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक–19.01.2019 को किया गया। उक्त परीक्षा में प्रस्तुत वाद के वादीगण द्वारा प्रथम प्रयास में उत्तीर्णता हासिल किया गया।

6. अंकनीय है कि प्रस्तुत वाद के वादीगण का नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2012 के तहत अप्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियोजन इकाई द्वारा किया गया है एवं वादीगण को सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। उक्त मामले में विभागीय आदेश ज्ञापांक–547 दिनांक–22.06.2020 द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–16165/2019 (किशोर कुमार) एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–2132 दिनांक–02.12.2024 द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–1894/2021 (मितेन्दु) में संबंधित वादीगण को प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से

प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक (Notionally) रूप से तथा परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया था।

7. उक्त मामला के समरूप एक अन्य वाद सी०डब्लू०जे०सी० सं०–7938/2020 मनोज कुमार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–01.02.2021 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"...The respondents are directed to ensure that the petitioners are paid pay scale/grade pay which they are entitled to from the date of completion of training i.e. May, 2017. The arrears of salary shall be calculated accordingly and paid to them within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order..."

उपरोक्त पारित आदेश कि विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No.–456/2021 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–03.04.2025 को न्यायादेश पारित करते हुए सी०डब्लू०जे०सी० सं०–16165/2019 (किशोर कुमार) में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–547 दिनांक–22.06.2020 द्वारा प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक (Notionally) रूप से तथा परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ दिये जाने के निर्णय को नकारते हुए उक्त अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"...In this backdrop, appellants cannot take decision of notional benefits when the order is very specific to the extent that necessary decision in this regard with all consequential monetary benefit must be taken by the director. The same decision has been passed in number of cases including the present case. The appellants has taken their own time to publish the result with reference completion of training course in the month of May, 2017. For no fault on the part of the respondents, denial of certain service and monetary benefit on behalf of the appelants would be arbitrary, therefore, the appellants have not made out a case so as to interfere with the impugned order of the learned Single dated 01.02.2021 passed in CWJC No 7938 of 2020..."

उपरोक्त पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) Diary No(S).–66035/2025 दायर किया गया। उपरोक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–15.01.2026 को न्यायादेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.–456/2021 में दिनांक–03.04.2025 को पारित न्यायादेश को यथावत रखते हुए उक्त SLP को खारिज कर दिया गया।

7.यह भी अंकनीय है कि LPA No.–748/2022, बीबी सकिना एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–20.03.2024 को न्यायादेश पारित करते हुए निर्देश दिया गया है कि:–

"...(4) the unqualified teachers who were appointed during the relaxation period, i.e. between 01.04.2010 and 31.03.2015 will also be deemed to have been continued, if they have acquired the teachers training qualification; the minimum qualification, on or before 08.08.2021.

(5) The persons, who were appointed after 31.03.2015, if are unqualified will have to be terminated even if, they have acquired the qualification within 08.08.2021; since their appointment itself is invalid. There could not have been any unqualified persons appointed after 31.03.2015.

(6) Those who were in place as teachers on 01.04.2010 and then on 31.03.2015, if not acquired the qualification before 08.08.2021 will stand terminated..."

हालांकि उपरोक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (C) No.–10872–10898/2024 तंजीम रेजा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–17.05.2024 को आदेश पारित किया गया है कि "...Until further orders, the parties are directed to maintain status quo, as of today..."

8. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना एवं शेखपुरा को निदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्त्ताओं की सेवापुस्तिका तथा प्रमाणपत्रों की जाँच करेंगे। यदि स्थानीय निकाय शिक्षक अंतर्गत उनकी नियुक्ति तिथि 31.03.2015 के पूर्व की है तथा उन्होंने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उन्हें प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इससे इत्तर यदि कोई मामला हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाकर ही उस पर निर्णय लिया जाय।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु0–01–524/2025......972......पटना, दिनांक....05.03.26......

प्रतिलिपिः– 1. Ranjit Kumar Son of Grish Prasad Singh R/o Ward No. 16, Sakarwar Tola, Mokama, District- Patna.

2. Manish Kumar Son of Umed Pd Singh R/o Ward No. 15, Sakarwar Tola, Mokama, District- Patna.

3. Jitendra Kumar Son of Bulak Gop R/o Village and Post Aunta, P.S. Hathidah, District- Patna.

4. Sanjeev Kumar Son of Ram Nandan Prasad Village and Post Maranchi, District- Patna.

5. Shashi Sekhar Son of Tripti Narayan Singh R/o Village and Post Aunta, PS- Hathidah, District- Patna.

6. Sulochana Kumari W/o Arun Kumar Rao R/o Road No. 1, Urja Nagar, Opp. St. Karen's Secondary School, Danapur Khagul Road, District- Patna.

7. Amit Kumar Son of Arun Kumar R/o Ward No. 1, Moldiyar Tola, Mokama, District- Patna.

8. Anand Shankar S/o Krishna Kumar Singh R/o Ward No. 10, Moldiyar Tola, Mokama, District- Patna.

9. Rajeshwar Prasad S/o Tripbhuwan Prasad R/o Ward No. 27, Near Post Office, Mokama Ghat, District Patna.
10. Sanjeev Kumar S/o Balmiki Prasad Sharma R/o Chandrabhan Tola, Near Pipar Tar, Village and PO Aunta, P.S. Hathidah, District- Patna.
11. Sonu Kumar S/o Ramvilas Paswan R/o Kachara Mohalla, Dak Bangalow Road, Ward No. 3, Mokama, District- Patna.
12. Nitu Kumari W/o Sunil Kumar R/o Shanti Puram Colony, RPS More, Bailey Road, District- Patna.
13. Pushpa Rani W/o Chandan Kumar R/o Budhani Chak, Purabi Bedhna, P.O. Barh, Barh, District- Patna.
14. Parmanand Sharma S/o Ved Mitra Sharma R/o Village and P.O. Aunta, Ward No. 1, Hissatar, P.S. Hathidah, District- Patna.
15. Vivekanand Singh S/o Rajendra Prasad Singh R/o Village and P.O. Pokharama, P.S. Kajra, District- Lakhisarai.
16. Ajay Kumar S/o Jaldhari Mahto R/o Ward No. 14, Tola Ram Charan, Mokama, District- Patna.
17. Vikramjeet Kumar S/o Vivekanand Sharma R/o Village- Chintamani Chak, Ward No. 21, Mokama, District- Patna.
18. Bikki Kumar S/o Baliram Prasad R/o Village and P.S.- Aunta, Ward No. 1, Hissatar, P.S. Hathidah, District- Patna.
19. Subodh Kumar S/o Ram Charitra Choudhary R/o Village- Sisauni, Ward No. 27, P.O. Mokamaghat, Mokama, District- Patna.
20. Ravi Bhusan Kumar S/o Kameshwar Prasad Singh R/o Naya Tola, Daryachak, Barh, District- Patna.
21. Rakesh Kumar S/o Jaynandan Sharma R/o P.O. Dhumri, P.S. Barahiya, District- Lakhisarai.
22. Md.Ejaz Ahmad S/o Sabiruddin R/o Mohalla- Chondi, P.S. and P.O. Barh, District- Patna.
23. Bindu Kumari W/o Sumit Kumar R/o Ward No. 28, Mokama Ghat, Mokama, District- Patna.
24. Amrita Kumari W/o Pankaj Kumar Gupta R/o Sadar Gali, Patna City, District- Patna.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–524 / 2025...972...पटना, दिनांक...09/03/26...

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना एवं शेखपुरा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–524 / 2025......972..............पटना, दिनांक.....09/03/26....

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।